UPM0010013332026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– अंचल लवानियॉ (एच0जे0एस0)– यू0पी0–2411

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–489 / 2026

1. अनुभव उम्र करीब 20 वर्ष, पुत्र नरेन्द्र सिंह,
   निवासी ग्राम चांदपुर गनेश, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद।
2. सुमित उम्र करीब 20 वर्ष, पुत्र मनोज,
   निवासी ग्राम बिचौला, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद।
3. रोहित उम्र करीब 22 वर्ष, पुत्र ओमपाल सिंह,
   निवासी मौहल्ला दयालपुर उर्फ खोखड़ा, थाना सोनकपुर, जिला मुरादाबाद।

....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी / अभियोजन पक्ष।

मु0अ0सं0–18 / 2026,
धारा–109(1) बी0एन0एस0
थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद।

1. आवेदकगण / अभियुक्तगण अनुभव, सुमित एवं रोहित की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–18 / 2026, धारा– 109(1) बी0एन0एस0, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रथम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार वादी मुकदमा जोगेन्द्र सिंह द्वारा आवेदकगण / अभियुक्तगण शिवा, अनुभव, सुमित एवं रोहित के विरूद्ध इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 21–01–2026 को रयल रिसोर्ट हरोरा मोड़, बिलारी पर प्रोग्राम में उसके बच्चों अतुल व तरूण पर समय लगभग 1.30 बजे शिवा, सुमित, रोहित एवं अनुभव ने मिलकर अपने चार पहिया गाड़ी संख्या यू0 पी0 21 डी0ए0 2372 से आये और उसके दोनों पुत्रों को जान से मारने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी उसके पुत्रों पर चढ़ा दी और बाइक को रौंदते हुये नगलिया रोड की ओर ले गया। उक्त लोगों ने तमंचों से गोली भी चलायी थी, जिससे उसके पुत्र तरूण की बाह में गोली लगी है तथा दूसरे पुत्र अतुल के पैर में काफी चोट आयी है। यह लोग काफी दबंग हैं, जो उसके दोनों पुत्रों को जान से मारने के लिये आये थे। यह लोग पुरानी रंजिश मानते हैं। इससे पूर्व भी दो बार झगड़ा कर चुके हैं, जिसका समझौता थाने में बैठाकर कराया गया था, परन्तु यह लोग झगड़ालू व दबंग है और किसी भी समय जान माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके पुत्र का इलाज मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में चल रहा है, जिसकी हालत अभी ठीक नहीं है। उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचनाधीन हुआ।

3. आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में आधार एवं तर्क लिये गये है कि वादी ने एफ0 आई0 आर0 में अपने पुत्र अतुल व तरूण की मोटर साइकिल पर कार चढ़ाकर रौंदते हुये काफी दूर तक ले जाना बताया गया है, जबकि चोट मात्र अतुल के पैर व तरूण के हाथ में बतायी है। अगर मोटर साइकिल को कार से घसीटा जाता, तब दोनों को तमाम चोटें आतीं व बुरी तरह घसीटने की चोटे भी आती और वह दोनों कार के नीचे भी आ सकते थे। जहॉ तक गोली मारने का प्रश्न है, अगर कार से गोली मारते, तब उतरकर मारते तो चोट वाइटल पार्ट पर आती, हाथ में कैसे आयी। घटना बैंकट हाल की बतायी जाती है, वहॉ पर सैकड़ों लोग होते हैं, ऐसा कैसे सम्भव है। बैंकट हाल में हर्ष फायरिंग चल रही थी। उसी फायरिंग में एक गोली तरूण के हाथ में लग गयी और वहॉ भगदड़ मच गयी और इसी भगदड़ में गिरने से अतुल के पैर में चोट लग गयी। वादी ने पुरानी रंजिश की वजह से पुलिस से मिलकर झूठा मुकदमा लिखाया है। प्रार्थीगण को डर है कि पुलिस वादी से हमसाज होकर उनका उत्पीड़न करके जेल भेज देगी अथवा किसी अन्य केस में फंसा देगी। प्रार्थीगण इज्जतेदार व्यक्ति हैं और समाज में काफी इज्जत है। झूठे केस में जेल जाने पर उनकी बदनामी होगी। उनके भागने या अभियोजन साक्ष्यों में हस्तक्षेप करने व गवाहों को डराने धमकाने की कतई कोई सम्भावना नहीं है। वह वचनबद्ध है कि न्यायालय अथवा पुलिस/विवेचक द्वारा उनको जब भी बुलाया जायेगा, तब वह उपस्थित रहेंगे और विवेचना व विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपनी कार से वादी के पुत्रों की गाड़ी को रौंदा गया और जान से मारने की नीयत से गोली मारी गयी, जिससे वादी के पुत्रों चोटिल हो गये। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. उपरोक्त के संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की आरोपित धाराओं को उद्धरत किया जाना समाचीन होगा :–

Section- 109 (1) Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life, or to such punishment as is hereinbefore mentioned.

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि उनके द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्रों को जान से मारने की नीयत से गोली मारी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार शिवा, सुमित, रोहित एवं अनुभव ने मिलकर अपने चार पहिया गाड़ी संख्या यू0 पी0 21 डी0ए0 2372 से उसके दोनों पुत्रों को जान से मारने के उद्देश्य से उसके पुत्रों पर चढ़ा दी और बाइक को रौंदते हुये नगलिया रोड की ओर ले गया। उक्त लोगों

ने तमंचों से गोली भी चलायी थी, जो उसके पुत्र तरूण की बाह में गोली लगी है तथा दूसरे पुत्र अतुल के पैर में काफी चोट आयी है। जहॉ तक आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि दोनों पक्षों के मध्य फैसला करा दिया गया है, इस सन्दर्भ में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि पूर्व में लड़ाई हुयी हैं, जिनका विवादित फैसला कराया गया है। तत्पश्चात आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा गोलियां चलाकर अपराध कारित किया गया है। इससे पूर्व भी दो बार झगड़ा होने के सबन्ध में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया अपराध समाज के विरूद्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तग कथित घटना में नामजद है। विवेचना अभी प्रचलित है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि मामले की घटना दिनांक 21–01–2026 की है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **अनुभव, सुमित एवं रोहित** द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 09–03–2026

(अंचल लवानियॉ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.03.09 17:08:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court